बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ0स0 :–2/अ0प्र0–5–01/2018 697 /पटना, दिनांक :– 16-4-21

श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना पश्चिम, पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग के विरूद्ध CAG प्रतिवेदन 2003–04 की सिविल कंडिका–4.1.2 के तहत वर्ष 1998–99 में पटना पश्चिम, पथ प्रमंडल, पटना अंतर्गत मसौढ़ी–पितमास–नौबतपुर–खगौल पथ के 11 से 21 कि0मी0 तथा दुल्हिनबाजार–रानी तालाब–पाली–किंजर पथ के 21 से 32 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य में अनियमितता बरते जाने के कारण इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत सरकार को हुई आर्थिक क्षति के लिए समानुपातिक दोष के आधार पर श्री श्रीवास्तव से रू० 3,99,900/– (तीन लाख निन्यानवे हजार नौ सौ रूपये मात्र) की वसूली की अनुशंसा पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 2359 दिनांक 23.03.2018 द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग से किया गया।

2. पथ निर्माण विभाग के उक्त अनुशंसा के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के पत्रांक 8628 दिनांक 02.08.2018 द्वारा श्री श्रीवास्तव के उपार्जित अवकाश नकदीकरण मद में भुगतेय राशि में से रू० 3,99,900/– (तीन लाख निन्यानवे हजार नौ सौ रूपये मात्र) की कटौती कर ली गयी।

3. उक्त कटौती के विरूद्ध श्री श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.–6560/2019, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम राज्य सरकार दायर किया गया। इस वाद को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.04.2019 को निम्नांकित आदेश के साथ निष्पादित किया गया:–

" Under the aforesaid circumstances, this court deems it appropriate to direct the petitioner to make a fresh complaint/representation before the Principal Secretary, Rural Works department, Government of Bihar, Patna (respondent no. 3) indicating the details of his grievances, within a period of four weeks from today, who on receipt of the same shall, after verifying the facts, pass a reasoned order in accordance with law within a further period of six weeks therafter. If it is found that the recovery of the aforesaid amount is not justified on facts, necessary order rectifying that mistake also shall be passed within the aforesaid stipulated period."

4. माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2019 में वर्णित तथ्यों पर समीक्षोपरान्त विभागीय पत्रांक 2774 दिनांक 19.09.2019 द्वारा पथ निर्माण विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 9657 दिनांक 06.11.2019 के माध्यम से प्राप्त मंतव्य के आलोक में सकारण आदेश ज्ञापांक 3481 दिनांक 25.11.2019 द्वारा श्री श्रीवास्तव के अभ्यावेदन दिनांक 06.05.2019 को अस्वीकृत किया गया।

5. उक्त सकारण आदेश ज्ञापांक 3481 दिनांक 25.11.2019 के विरूद्ध श्री श्रीवास्तव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में CWJC No.–4760/2020, प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम राज्य

7. अतः माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 09.02.2021 के अनुपालन में सकारण आदेश ज्ञापांक 3481 दिनांक 25.11.2019 को निरस्त करते हुए वसूल की गई राशि रू0 3,99,900/– (तीन लाख निन्यानबे हजार नौ सौ रूपये मात्र) श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को वापस करने का आदेश दिया जाता है।

16.04.21
(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–01/2018 697 /पटना, दिनांक :– 16-4-21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सिवान/कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.04.21
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–5–01/2018 697 /पटना, दिनांक :– 16-4-21

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महाराजगंज/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना पश्चिम पथ प्रमंडल, पटना सम्प्रति सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, पत्राचार का पता–475/बी0 शांति वाटिका मजिस्ट्रटेट कॉलोनी, पो0–आशियाना नगर, पटना–800025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

16.04.21
उप सचिव